[2021] 7 एस. सी. आर 1138

बिजेन्दर @मंदार

वी.

हरियाणा राज्य

(2010 की आपराधिक अपील संख्या 2438)

नवंबर 08,2021

[एन. वी. रमना, सीजेआई। , सूर्या कान्ट और हिमा कोहली, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860: एसएस। 392 और 397-घातक का उपयोग करके डकैती

प्रकटीकरण बयान और उससे की गई वसूली-उच्च न्यायालय ने बरकरार रखी हालाँकि, दोषसिद्धि ने सजा को कम कर दिया। 397 – अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः अदालत किसी अभियुक्त को विशेष रूप से उसके आधार पर दोषी ठहरा सकती है।

प्रकटीकरण कथन और उपदेशक की परिणामी वसूली

सामग्री-हालांकि, ऐसे अभियुक्त के अपराध को बनाए रखने के लिए, वसूली त्रुटिहीन होनी चाहिए और संदेह के तत्वों से भरी नहीं होनी चाहिए-जहां अभियोजन पक्ष अभियुक्तों में विश्वास पैदा करने में विफल रहता है।

जिस तरह से और/या कथित अपराध के साथ अपनी सांठगांठ के संबंध में वसूली की सामग्री, अदालत को आरोपी को संदेह का लाभ देना चाहिए-तथ्यों पर, अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के अपराध को घर लाने में बुरी तरह विफल रहा-नीचे दिए गए न्यायालयों से प्रभावित थे

अप्रासंगिक विचार, जैसे कि डकैती अदालतों की घटनाओं में वृद्धि ने अपीलार्थी पर यह समझाने का भार स्थानांतरित कर दिया कि वह दोषपूर्ण वस्तुओं के कब्जे में कैसे था, मुख्य रूप से वसूली की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता के साथ-साथ दुराचार से इसके संबंध की जांच किए बिना-अपीलार्थी के खिलाफ निष्कर्ष निकाला गया था, इसके बावजूद कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी की दोषपूर्णता को दर्शाने के लिए सबूत के अपने बोझ को समाप्त करने में विफल रहा-रिकॉर्ड पर साक्ष्य ने अपीलार्थी के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित नहीं किया-इस प्रकार, नीचे की अदालतों द्वारा पारित आदेशों को दरकिनार कर दिया गया।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 . न्यायालय विशेष रूप से किसी अभियुक्त को उसके प्रकटीकरण बयान और परिणामी वसूली के आधार पर दोषी ठहरा सकता है। उत्तेजक सामग्री। हालांकि, अपराध को बनाए रखने के लिए

ऐसे अभियुक्त की वसूली निर्विवाद होनी चाहिए और संदेह के तत्वों से भरी नहीं होनी चाहिए। [पैरा 16] [1146-बी-सी] 1.2 जहां अभियोजन पक्ष अपने संबंध में वसूली के तरीके और/या सामग्री में विश्वास पैदा करने में विफल रहता है

कथित अपराध के साथ सांठगांठ, अदालत को आरोपी को संदेह का लाभ देना चाहिए। आपराधिक का मुख्य सिद्धांत न्यायशास्त्र यह है कि "यह बेहतर है कि दस दोषी व्यक्ति भाग जाएँ,

2. किसी व्यक्ति को केवल इसलिए दोषी ठहराना बुद्धिमानी या विवेकपूर्ण नहीं हो सकता है क्योंकि जघन्य अपराधों और पीड़ितों में भारी वृद्धि हुई है। अक्सर डर या अन्य बाहरी कारणों से सच बोलने के लिए अनिच्छुक होते हैं। संदेह से परे अपराध को साबित करने का भार संदिग्ध पर नहीं पड़ता है, सिवाय इसके कि कानून आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने का कर्तव्य देता है। यह बाध्यकारी कर्तव्य है

उन मामलों में अभियोजन जहां भौतिक गवाहों के फिसलने की संभावना है, या तो जल्द से जल्द उनके बयान दर्ज कराने के लिए

धारा 164 Cr.P.C के तहत या ऐसे अन्य ठोस साक्ष्य एकत्र करें कि इसका मामला पूरी तरह से मौखिक गवाही पर निर्भर नहीं करता है। [पैरा 18] [1147-ए-बी]

3. अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के अपराध को घर लाने में बुरी तरह विफल रहा और निचली अदालतों को अनजाने में प्रभावित किया गया

अप्रासंगिक विचारों से, जैसे कि डकैती की घटनाओं में वृद्धि। निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी पर यह स्पष्ट करने के लिए भार स्थानांतरित करने में जल्दबाजी की है कि कैसे उसने मुख्य रूप से बिना किसी दोषपूर्ण वस्तु के कब्जे में होने का आदेश दिया।

वसूली की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता के साथ-साथ कदाचार से इसके संबंध की जांच करना। उच्च न्यायालय और निचली अदालत इस बात को ध्यान में रखने में विफल रही कि ए. एस. आई. (पी. डब्ल्यू.-14) की गवाही ने स्थानीय गवाहों की उपस्थिति में अपीलार्थी के आवास की तलाशी लेने के लिए पुलिस द्वारा किए गए किसी भी महत्वपूर्ण प्रयास को प्रदर्शित नहीं किया। बरामदगी का एकमात्र स्वतंत्र गवाह पीडब्लू-8 था जो निश्चित रूप से [2021] 7 एस. सी. आर. का साथी था।

शिकायतकर्ता। शिकायतकर्ता (पीडब्लू-4) के साथ-साथ पीडब्लू-8 ने स्पष्ट रूप से इस बात का खंडन किया है कि अपीलार्थी के कब्जे से न तो पासबुक और न ही 'लाल कपड़ा' बरामद किया गया था, जैसा कि उसके प्रकटीकरण बयान में दावा किया गया है। जबकि, पीडब्लू-4 ने वसूली ज्ञापन पर उनके हस्ताक्षर को अस्वीकार कर दिया, दूसरी ओर, पीडब्लू-8 ने भी

न तो प्रदर्शित दस्तावेजों की सूची में वसूली ज्ञापन की गणना की गई और न ही उन्होंने अपना समर्थन होने की पुष्टि की। बरामद की गई वस्तुएं आम जगह की वस्तु हैं जैसे कि पैसा और 'लाल कपड़ा' जिस पर 'कमला' उभरा हुआ है।

पीडब्लू-14 द्वारा स्वीकृत किया गया है, यह बाजार में भी आसानी से उपलब्ध हो सकता है। कमीशन के लगभग एक महीने बाद वसूली हुई

कथित अपराध। यह अविश्वसनीय है कि अपीलार्थी ने पूरे समय के दौरान शिकायतकर्ता से लूटे गए पैसे के साथ लाल कपड़े और पासबुक दोनों को रखा। इसके अलावा, रिकॉर्ड पर कोई अन्य सबूत नहीं है जो दूर से भी इंगित करता हो अपीलार्थी के अन्याय की ओर। [पैरा 19] [1147-सी-एच; 1148 ए-सी]

4. निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने गलती की है

निचली अदालत और उच्च न्यायालय के लिए कथित धमकी का संबंध है, इस बात की पुष्टि करने के लिए किसी भी ठोस सबूत के अभाव में ऐसे आरोपों को विश्वास दिलाना कठिन है। एक ही। यद्यपि अभियोजन पक्ष ने सह-अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत टी. आई. पी. के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत हलफनामे पर भरोसा करने का प्रयास किया है, उक्त हलफनामे में अपीलार्थी का नाम नहीं है। [पैरा 20] [1148-सी-ई]

5. अभिलेख पर साक्ष्य अपीलार्थी के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित नहीं करता है और नीचे की अदालतें किसी भी ठोस तर्क के अभाव में अपीलार्थी के अपराध को दर्ज करने पर पहुंच गई हैं, जिससे उसकी दोषसिद्धि को उचित ठहराया जा सके। इस प्रकार, निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों और आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है

और अपीलार्थी को सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता है। [पैरा 21,22] [1148 ई-एफ]

विजय ठाकुर बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य, (2014) 14 एस. सी. सी. 609; तुलसीराम कानू बनाम। राज्य; ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 1; पंचो बनाम। हरियाणा राज्य (2011) 10 एससीसी 165:

[2011] बिजेन्दर @मंदार बनाम। हरियाणा राज्य

12 एस. सी. आर. 1173; राजस्थान राज्य बनाम। तलेवर और अन्न। (2011) 11 एससीसी 666: [2011] 6 एस. सी. आर. 1050; भरमा

परसराम कुधाचकर बनाम। कर्नाटक राज्य (2014)

14 एस. सी. सी. 431-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2014) 14 एस. सी. सी. 609

पैरा 16

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

आकाशवाणी 1954 एससी 1

[2011] 12 एससीआर 1173

पैरा 16

संदर्भित किया गया है

[2011] 6 एससीआर 1050

पैरा 16

संदर्भित किया गया है

(2014) 14 एस. सी. सी. 431

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

2438 2010 से।

उच्च न्यायालय के 07.09.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

आपराधिक अपील No.851 SB/2002 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा का।

सुरेंद्र सिंह, मुकल कुमार, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री अलका अग्रवाल, ए. ए. जी., डॉ. मोनिका गुसैन, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सूर्या कान्ट, जे।

1. तत्काल आपराधिक अपील निर्णय से निकलती है और

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का 7 सितंबर 2009 का आदेश, जिसके तहत 20 मार्च 2002 का आदेश सोनीपत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया, जिसमें अपीलार्थी-बिजेंद्र को दोषी ठहराया गया।

@ आई. पी. सी. की धारा 392 और 397 के तहत मंदार की पुष्टि की गई थी। उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 392 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 5 साल के कठोर कारावास के साथ-साथ Rs.5000/- के जुर्माने को बरकरार रखा। हालाँकि, इसने सजा को 10 से घटाकर 7 साल के कठोर कारावास के साथ कर दिया।

आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत दंडनीय अपराध के लिए <आई. डी. 1,000/- का जुर्माना। दोनों सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया था।

तथ्यः

2. संक्षेप में, अभियोजन संस्करण यह है कि 14 अप्रैल 1999 को,

11 के आसपासः 00 सुबह, बाल किशन (शिकायतकर्ता) [2021] 7 एस. सी. आर. को दिल्ली जा रहे थे।

3. अपीलार्थी सहित चार अभियुक्त व्यक्तियों को पुलिस द्वारा प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया और उन पर आई. पी. सी. की धारा 392,397 और 120-बी और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत आरोप लगाए गए। जबकि पांचवें सह-अभियुक्त (विनोद) को गिरफ्तार नहीं किया जा सका और धारा 82 के तहत उसे भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया, अपीलार्थी सहित अन्य अभियुक्तों ने अपना अपराध छोड़ दिया और 'दोषी नहीं' होने का अनुरोध किया। अंतिम मुकदमे में अभियोजन पक्ष द्वारा 14 गवाहों से पूछताछ की गई। बचाव पक्ष द्वारा कोई सबूत नहीं दिया गया था। अभियोजन पक्ष ने निचली अदालत के समक्ष अपना विवरण प्रस्तुत किया कि अभियुक्त व्यक्तियों ने विनोद के साथ मिलकर शिकायतकर्ता को लूटने की साजिश रची, जिसके बारे में उन्हें पता था कि वह दिल्ली में एक भूखंड की खरीद के लिए पैसे ले जा रहा था। जबकि सह-अभियुक्त मुकेश और सुभाष ने जानकारी प्रदान की थी, अपीलार्थी, मंजीत और विनोद ने वास्तव में डकैती को अंजाम दिया।

4. अभियोजन पक्ष का मामला अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयानों और उसके अनुसार की गई पूर्व-परीक्षण बरामदगी पर बहुत अधिक निर्भर था। अपीलार्थी अपने रहस्योद्घाटन में (उदा. पी. डी.) ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत वृत्तांत की पुष्टि की। उन्होंने आगे कहा कि रु। 10,000 / - अपने हिस्से के हिस्से के रूप में अपनी किटी में गिर गया, जिसमें से वह पहले ही रुपये खर्च कर चुका था। 5,000 / . अपीलार्थी पुलिस को अपने आवास पर ले गया और सहायता की रुपये की वसूली में। 5,000 / - जो एक 'लाल कपड़े' में लिपटे हुए पाए गए थे (उदा. पी1), एक पासबुक के साथ (उदा. पी2)। आरोप है कि 'लाल कपड़ा' शिकायतकर्ता की पत्नी का था, जिस पर 'कमला' नाम की कढ़ाई की गई थी और पासबुक शिकायतकर्ता की थी। इसी तरह, सह-अभियुक्त के प्रकटीकरण बयानों से कुछ बिजेंडर @मंदर बनाम की बरामदगी हुई।

मामूली राशि और एक देशी पिस्तौल जो सह-अभियुक्त मंजीत की थी, जिसका कथित रूप से अपराध करने के लिए उपयोग किया गया था। ये

दोषपूर्ण बयान अपीलार्थी के प्रकटीकरण के अनुरूप थे।

5. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के कई गवाह मुकर गए। भले ही शिकायतकर्ता (पीडब्लू-4) ने अपने बयान में स्वीकार किया कि 'लाल कपड़ा' उसकी पत्नी का था, लेकिन उसने इस बात का खंडन किया कि पासबुक और/या उक्त कपड़ा अपीलार्थी के कब्जे से उसकी उपस्थिति में बरामद किया गया था। उन्होंने आगे इस बात से इनकार किया कि अभियुक्त सहित अपीलार्थी ने अपराध करने वाले व्यक्तियों की पहचान का मिलान किया। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि वसूली ज्ञापन (उदा. पी. डी./2) पर उनके हस्ताक्षर थे। शिकायतकर्ता के भतीजे, संजय (पीडब्लू-6), जो एक चश्मदीद गवाह थे, ने भी पूरी तरह से घटना की घटना को खारिज कर दिया और

गवाही दी कि उसके चाचा, शिकायतकर्ता से कोई राशि नहीं छीनी गई थी। इसी तरह, पी. डब्ल्यू.-5 और पी. डब्ल्यू.-8, जो क्रमशः पुलिस द्वारा वस्तुओं की बरामदगी और कथित साजिश के स्वतंत्र गवाह थे, ने भी विरोध किया और उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया।

6. केवल औपचारिक गवाहों ने अभियोजन की कहानी का समर्थन किया और अभियुक्त के अपराध के लिए अपने आधार पर खड़े रहे। इस संबंध में, एएसआई राजिंदर कुमार (पीडब्लू-14), जो जाँच के प्रभारी थे, की गवाही कुछ महत्व रखती है। इस गवाह ने पुष्टि की कि अपीलार्थी सहित सभी अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत प्रकटीकरण बयानों की वैधता, और कहा कि शिकायतकर्ता ने पुलिस के समक्ष अपने पूरक बयान में तर्क दिया था कि रु। 46,000 / - उन्हें एक 'लाल कपड़े' में लपेटा गया था, जिस पर शिकायतकर्ता की पत्नी का नाम भारतीय बैंक की पासबुक के साथ कढ़ाई की गई थी। हालांकि, एएसआई राजिंदर कुमार ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि अपीलार्थी के घर से बरामद 'लाल कपड़ा' बाजार में आसानी से उपलब्ध था और 'कमला' नाम भी आसानी से उकेरा जा सकता था

इसके बाद। इसके अलावा, उन्होंने यह भी बयान दिया कि जबकि सह-आरोपी मंजीत ने परीक्षण पहचान परेड (संक्षेप में, "टी. आई. पी".) की मांग की थी, शिकायतकर्ता ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया और इसके बजाय एक हलफनामा दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि अगर वह मंजीत की पहचान करता है तो उसे मार दिया जाएगा। एच. सी. कर्मबीर सिंह (पीडब्लू-13), जो पीडब्लू-14 के साथ उपस्थित थे, जब अभियुक्त द्वारा प्रकटीकरण बयान दिए गए थे, ने भी इसका समर्थन किया। अभियोजन संस्करण और अपदस्थ किया कि दोषपूर्ण वस्तुओं की बरामदगी उनकी उपस्थिति में की गई थी।

7. अपीलार्थी ने अपने 313 Cr.P.C. बयान में अपने सामने रखे गए सभी आपत्तिजनक साक्ष्य की बरामदगी से इनकार किया। उसी प्रभाव के लिए [2021] 7 एस. सी. आर.

धारा 313 Cr.P.C के तहत अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा दिए गए बयान थे, जो अभियोजन संस्करण को पूरी तरह से नकारते थे।

8. विचारण न्यायालय ने इस तर्क में बल पाया कि

अभियोजन कि भौतिक गवाहों ने मामूली विसंगतियों के साथ अपने कथन को काफी हद तक साबित किया था। न्यायालय ने आगे कहा कि

9. असंतुष्ट, अभियुक्त ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष अलग-अलग अपीलें की। उनका मुख्य तर्क था कि किसी भी चश्मदीद गवाह या स्वतंत्र गवाह ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया और उन्हें केवल प्रकटीकरण बयानों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर, उच्च न्यायालय अभियुक्त की ओर से उठाई गई याचिका से प्रभावित नहीं हुआ और

विचारण न्यायालय के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की और आगे कहा कि डकैती के मामलों में भारी वृद्धि के कारण, न्यायालय में अभियुक्त की गैर-पहचान को एक भौतिक विचार के रूप में नहीं माना जा सकता है जहां अन्य साक्ष्य अपराध के किए जाने की ओर इशारा करते हैं। उच्च न्यायालय ने एक सामान्य निर्णय के माध्यम से अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि को बनाए रखा। फिर भी, उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत सजा को घटाकर 7 साल के कठोर कारावास में बदल दिया ताकि न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

10. व्यथित अपीलार्थी अब इस न्यायालय के समक्ष है।

सामग्रीः

11. हमने अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकीलों को सुना है-काफी विस्तार से बताएँ और अभिलेख का अध्ययन किया

गहराई। अपीलार्थी की ओर से उठाया गया प्रमुख तर्क यह है कि बी. आई. जे. एन. डी. आर. @मंदर बनाम.

हरियाणा राज्य [सूर्या कांत, जे.]

उसकी दोषसिद्धि पूरी तरह से 'प्रकटीकरण बयान' के आधार पर है और आई. पी. सी. की धारा 392 और 397 के तहत उसकी दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए कोई अन्य ठोस सबूत नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान, इस न्यायालय ने 2010 की आपराधिक अपील संख्या 1375 और 2013 की आपराधिक अपील संख्या 1328 में पहले ही सह-अभियुक्त मुकेश और सुरेश को इस निष्कर्ष के साथ बरी कर दिया था कि आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत उनकी दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए सबूतों की कमी थी। 12. दूसरी ओर, विद्वान राज्य वकील ने हमें समवर्ती निष्कर्ष के मामले में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की सीमित गुंजाइश की याद दिलाई।

तथ्य और प्रचार किया कि अपीलार्थी को उसके प्रकटीकरण बयान के आधार पर दोषी ठहराया गया, जिसके परिणामस्वरूप रुपये की वसूली हुई। 5,000 / 'लाल कपड़े' और भारतीय बैंक की पासबुक के साथ, अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त था। सह-अभियुक्त के बरी होने के संबंध में, यह खंडन किया गया था कि उनके आरोप केवल साजिश की सीमा तक संबंधित थे, और इसलिए, उनके बरी होने का अपीलार्थी की दोषसिद्धि पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा, जिस पर वास्तव में कदाचार करने का आरोप है।

विश्लेषणः

13. शुरुआत में इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि हालांकि इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशाल शक्तियां प्रदान की गई हैं, फिर भी, विशेष अनुमति द्वारा आपराधिक अपील में ऐसी शक्तियों का अनुरोध करते हुए, यह न्यायालय मोटे तौर पर साक्ष्य का नया पुनर्मूल्यांकन करने से परहेज करेगा और गवाहों की विश्वसनीयता पर संदेह करेगा जब तथ्य का समवर्ती निष्कर्ष होता है, कुछ अपवादों को छोड़कर।

ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ चुनौती के तहत निर्णय (ओं) को कानून या प्रक्रिया की एक स्पष्ट त्रुटि या निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए दिखाया गया है, प्रत्यक्ष रूप से विकृत है। 14. वर्तमान मामले की ओर इशारा करते हुए, निस्संदेह, कथित अपराध के एकमात्र चश्मदीद गवाह, यानी शिकायतकर्ता (पीडब्लू-4) और उसके भतीजे (पीडब्लू-6) ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। शिकायतकर्ता (पीडब्लू-4) ने न्यायालय के समक्ष अपनी गवाही में स्पष्ट रूप से इनकार किया कि अपीलार्थी या उसका सह-अभियुक्त अपराध के निष्पादन में शामिल थे। इसके अलावा, ए. एस. आई. राजिंदर कुमार (पीडब्लू 14), जो मामले के जांच अधिकारी थे, के बयान में जहां तक अपीलार्थी का संबंध है, टी. आई. पी. के नेतृत्व करने के प्रयास का भी कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए, अपराधियों में से एक के रूप में अपीलार्थी की पहचान अस्पष्ट है, विशेष रूप से, यह देखते हुए कि मामले के सभी आरोपी [2021] 7 एस. सी. आर. थे।

एक गुप्त जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया, जिसकी उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से है

अज्ञात।

15. इस प्रकार हमारे विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न आता है वह यह है कि क्या कथित प्रकटीकरण के बल पर अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया है।

कथन (उदा. पीडी) और पुनर्प्राप्ति ज्ञापन (उदा. पी. डी./2), किसी भी पुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में, क्या कायम रह सकता है?

16. हमने बहुत सारी घोषणाओं के साथ खुद से प्रार्थना की है

इस मुद्दे पर इस न्यायालय का। यह सच हो सकता है कि कभी-कभी न्यायालय किसी अभियुक्त को विशेष रूप से उसके प्रकटीकरण बयान और परिणामी दंडात्मक सामग्री की वसूली के आधार पर दोषी ठहरा सकता है। हालाँकि, ऐसे अभियुक्त के अपराध को बनाए रखने के लिए, वसूली निर्विवाद होनी चाहिए और संदेह के तत्वों से भरी नहीं होनी चाहिए। 1 हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ जैसे (i) कदाचार और प्रकटीकरण के बीच की अवधि; (ii) बरामद वस्तु की समानता और बाजार में इसकी उपलब्धता; (iii) वस्तु की प्रकृति और अपराध के लिए इसकी प्रासंगिकता; (iv) वस्तु की हस्तांतरणीयता में आसानी; (v) न्यायालय के समक्ष प्रमाणक गवाह की गवाही और विश्वसनीयता और/या इसी तरह के अन्य कारक, ऐसे महत्वपूर्ण विचार हैं जो वसूली के आंतरिक साक्ष्य मूल्य और विश्वसनीयता का आकलन करने में सहायता करते हैं। (देखिएः तुलसीराम कानू बनाम। राज्य 2; पंचो बनाम हरियाणा राज्य 3; राज्य

राजस्थान बनाम तलेवर और अन्र और भरमा परसराम कुधाचकर बनाम कर्नाटक राज्य 3)

17. निर्विवाद रूप से, जहां अभियोजन पक्ष कथित अपराध के साथ अपनी सांठगांठ के संबंध में वसूली के तरीके और/या सामग्री में विश्वास पैदा करने में विफल रहता है, तो न्यायालय को आरोपी को संदेह का लाभ देना चाहिए। आपराधिक न्यायशास्त्र का यह लगभग तीन शताब्दी पुराना मूल सिद्धांत है कि "यह बेहतर है कि दस दोषी व्यक्ति भाग जाएं, उस निर्दोष को पीड़ा होती है "। एक अभियुक्त को संदेह का लाभ देने का सिद्धांत, एक मजबूत संदेह के प्रमाण के बावजूद, इस आधार पर अपना अधिकार रखता है कि "एक दोषी व्यक्ति को बरी करना"

न्याय का गर्भपात उतना ही होता है जितना कि निर्दोष को दोषी ठहराना।

1 विजय ठाकुर बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2014) 14 एस. सी. सी. 609 2 ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 1 3 (2011) 10 एससीसी 165।

4 (2011) 11 एस. सी. सी. 666

5 (2014) 14 एस. सी. सी. 431 बिजेन्दर @मंदर बनाम।

18. किसी व्यक्ति को केवल इसलिए दोषी ठहराना बुद्धिमानी या विवेकपूर्ण नहीं हो सकता है क्योंकि जघन्य अपराधों में भारी वृद्धि हो रही है और पीड़ितों को अक्सर दोषी ठहराया जाता है।

भय या अन्य बाहरी कारणों से सच बोलने के लिए अनिच्छुक। द.

संदेह से परे अपराध को साबित करने का बोझ संदिग्ध पर नहीं पड़ता है, सिवाय इसके कि कानून आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने का कर्तव्य देता है। जिन मामलों में भौतिक गवाहों के फिसलने की संभावना है, उन मामलों में अभियोजन पक्ष का यह बाध्यकारी कर्तव्य है कि या तो धारा 164 के तहत जल्द से जल्द अपने बयान दर्ज कराए या ऐसे अन्य ठोस साक्ष्य एकत्र करे कि उसका मामला पूरी तरह से मौखिक गवाही पर निर्भर नहीं है।

19. इन उम्र-पुराने मापदंडों की परवाह किए बिना, हम पाते हैं कि

वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के अपराध को घर लाने में बुरी तरह विफल रहा है और निचली अदालतों को अनजाने में प्रभावित किया गया है

अप्रासंगिक विचारों से, जैसे कि डकैती की घटनाओं में वृद्धि। इस तरह के अवहेलनाओं पर भारी हाथ रखने की अपनी इच्छा में, निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी पर यह स्पष्ट करने के लिए भार स्थानांतरित करने में जल्दबाजी की है कि कैसे उसने वसूली की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता के साथ-साथ कदाचार से इसके संबंध की मुख्य रूप से जांच किए बिना, दोषपूर्ण वस्तुओं के कब्जे में होने का आदेश दिया। हम निम्नलिखित कारणों से ऐसा कहते हैं:

सबसे पहले, उच्च न्यायालय और निचली अदालत इस बात पर विचार करने में विफल रहे कि एएसआई राजिंदर कुमार (पीडब्लू-14) की गवाही

पुलिस द्वारा संचालन के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किया गया

स्थानीय गवाहों की उपस्थिति में अपीलार्थी के निवास की तलाशी। बरामदगी के लिए एकमात्र स्वतंत्र गवाह राल्दू (पीडब्लू-8) था जो स्वीकार्य रूप से शिकायतकर्ता का साथी था।

दूसरा, शिकायतकर्ता (पीडब्लू-4) के साथ-साथ राल्डू (पीडब्लू-8) ने स्पष्ट रूप से इस बात का खंडन किया है कि न तो पासबुक, न ही 'लाल कपड़ा' था। अपीलार्थी के कब्जे से बरामद किया गया, जैसा कि उसके प्रकटीकरण बयान में दावा किया गया है।

तीसरा, जबकि शिकायतकर्ता (पीडब्लू-4) ने वसूली ज्ञापन (ईएक्स) पर अपने हस्ताक्षर को अस्वीकार कर दिया। दूसरी ओर, पीडी/2), राल्दू (पीडब्लू-8) ने भी न तो वसूली ज्ञापन (एक्स। पीडी/2) प्रदर्शित दस्तावेजों की सूची में, और न ही उन्होंने अपना समर्थन होने की पुष्टि की।

चौथा, बरामद की गई वस्तुएं आम जगह की वस्तुएं हैं जैसे कि पैसा जिसे आसानी से एक हाथ से दूसरे हाथ में स्थानांतरित किया जा सकता है और

'कमला' के साथ 'लाल कपड़ा' उभरा हुआ है, जैसा कि [2021] 7 एस. सी. आर. द्वारा स्वीकार किया गया है।

जाँच अधिकारी राजिंदर कुमार (पीडब्लू-14) भी बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं।

पाँचवाँ, ठीक होने के लगभग एक महीने बाद हुआ

कथित अपराध करना। हमें यह अविश्वसनीय लगता है कि अपीलार्थी ने पूरे समय के दौरान शिकायतकर्ता से कथित रूप से लूटे गए पैसे के साथ लाल कपड़े और पासबुक दोनों को अपनी हिरासत में रखा।

छठा और अंत में, अभिलेख पर ऐसा कोई अन्य साक्ष्य नहीं है जो दूर से भी अपीलार्थी के अपराध की ओर इशारा करता हो। 20. हमें ऐसा प्रतीत होता है कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के खिलाफ गलत तरीके से प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला है, इसके बावजूद कि

अभियोजन पक्ष खेदजनक रूप से अपीलार्थी की दोषपूर्णता को दर्शाने के लिए सबूत के अपने बोझ को पर्याप्त रूप से वितरित करने में विफल रहा है। जहाँ तक कथित धमकी के संबंध में विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण का संबंध है, हम इसे साबित करने के लिए किसी भी ठोस सबूत के अभाव में ऐसे आरोपों को विश्वास दिलाना कठिन पाते हैं। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने टी. आई. पी. के दौरान सह-अभियुक्त-मंजीत द्वारा प्रस्तुत शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत हलफनामे पर भरोसा करने का प्रयास किया है, हम पाते हैं कि उक्त हलफनामे में अपीलार्थी का नाम नहीं है और यह पूरी तरह से मंजीत से संबंधित है।

21. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, हमारी यह सुविचारित राय है कि अभिलेख पर साक्ष्य अपराध को स्थापित नहीं करता है।

उचित संदेह से परे अपीलार्थी और नीचे दिए गए न्यायालय आ गए हैं।

किसी भी ठोस तर्क के अभाव में अपीलार्थी के अपराध को दर्ज करने में, उसकी दोषसिद्धि को उचित ठहराते हुए।

निष्कर्षः

22. नतीजतन, और इसकी अगली कड़ी के रूप में, आपराधिक अपील की अनुमति है। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश अदालत को दरकिनार कर दिया जाता है और अपीलार्थी को सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता है। जमानत बांड, यदि कोई हो, तो उसका भुगतान कर दिया जाता है।

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन